

**आचार्य,**  
**प्रधि. प्राविधिक शिक्षा परिषद,**  
**उत्तर प्रदेश सरकार।**

संख्या- प्राधिप्र/परिषद/सम्बद्धता/2021/3437

तखनन- दिनांक, 09/09/2021

**आचार्यता प्राप्त।**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कालिग्राफ ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2021-22 हेतु विद्यार्थी सार्वभौमिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/09/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सट्टाकरण एवं उसमें अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1874-MODERN INTERNATIONAL COLLEGE OF PHARMACY, CHAUNHA KILOMETER STONE, MAIN ROAD, SIKANDARABAD GLOBAL SIKANDARABAD, BULANDSHAHA**

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आईसीपीआई/पीसीआई द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आईसीपीआई/पीसीआई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमसूची 1982, संशोधन विनियमसूची-2010 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक संकायिका से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सासन द्वारा ज्ञित किये जाने वाले सासनोदेश प्रभावी होंगे और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पाठ्य निर्धारण समिति द्वारा कबि सत्र 2021-22 हेतु पाठ्य का पुनर्विचारण किया जाता है, तो पाठ्य की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को 130000 प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमसूची-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्जित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्णीत सासनोदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

1 of 2

  
Principal

Modern International College of Pharmacy  
4th Mile Stone Main Sikandarabad Gurgaon  
Road Sikandarabad Bulandshahr (U.P.)

  
Principal

Modern International College of Pharmacy  
4th Mile Stone Main Sikandarabad Gurgaon  
Road Sikandarabad Bulandshahr (U.P.)

10-09-2021, 11:51

- ✓ संस्था को 10-भाई0सी0टी0ई0पी0सी0-भाई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधिनियमों-अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ किलोमी इन कार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी सी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और शिक्षक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन की कोई बात दापर किया जाता है तथा दापर बात के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ किलोमी इन कार्मसी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेक्षित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व 10-भाई0सी0टी0ई0पी0सी0-भाई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यवाही को उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार्व-सम्पदा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला बुक, छात्रावास बुक आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विधायक-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध बनाने के साथ रेगिंग रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रसादित संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्मखर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयुक्त किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्वतंत्र निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्व-सम्पदा 10-भाई0सी0टी0ई0पी0सी0-भाई0-परिषद के मानकसुक्ष्म उपलब्ध नहीं पाये जाता है तो संस्था भी सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ साइट्स चार्ज का अनुपालन न किये जाने अथवा चार्ज का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोलंकर)

सचिव

पु०स०- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

शासनादेश/निदेशक, MODERN INTERNATIONAL COLLEGE OF PHARMACY, CHAUNTA KILOMETER STONE, MAIN ROAD, SIKANDARABAD GLOBALI, SIKANDARABAD, BULANDSHAHA

  
(सुनील कुमार सोलंकर)

सचिव

**कार्यालय,  
संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश राजनगर।**

संख्या- प्राविध/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक दिनांक- 30/08/2022

**:-कार्यालय कार्य:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मोमी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संघिय सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संघाहित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विधे गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संलग्नक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का आई एवं नाम : 1874-MODERN INTERNATIONAL COLLEGE OF PHARMACY		
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित एवं अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40

**सम्बद्धता हेतु शर्तों**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारित समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रम हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मोमी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मोमी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष/वर्षों से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रावकाश से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों का पालन करेगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीथ निर्धारण समिति द्वारा पत्र सत्र 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम टरे लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिए जायेंगे।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिविनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्रिस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन

Principal

Modern International College of Pharmacy  
4th Mile Stone Main Skandrabad Ghazipur  
Road Skandrabad, Bulandshahr (U.P.)

के विरुद्ध यदि कोई वाद उत्पन्न किया जाता है तब राज्य सरकार के संस्थ में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी अदेक निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बंद करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व 08/08/2022/08/2022/08/2022/08/2022 से अनुसूचित जाति वर धरियत कायानिम को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अधस्तन नियमों का अनुपालन करना आवश्यकता होगी।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साधन-सम्पदा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, छात्रावास सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विवरण-प्रतिक्रमा हेतु उपयुक्त सातवर्ष उपलब्ध कराने के साथ ही प्रवेश हेतु के सम्बन्ध में समस्त अधस्तन साधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित साधन/साधन को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के साथ उपलब्ध कराने गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पदा 08/08/2022/08/2022/08/2022/08/2022/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता नहीं का अनुपालन न किये जाने अथवा पूर्ण का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुसूचित जाति वर धरियत कार्यवाही की जायेगी।

  
(राजेंद्र कुमार खान)

सचिव

पं० सं०- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2022/7813-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिरिति-

प्रधानाचार्य/निदेशक MODERN INTERNATIONAL COLLEGE OF PHARMACY

  
(राजेंद्र कुमार खान)

सचिव

Principal

Modern International College of Pharmacy  
5th Mile Stone Main Skandrabad Gurgaon  
Road Skandrabad Bulandshahr (U.P.)

**कार्यालय**

**राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**आर प्रदेश संघसभा**

संख्या:- प्राविधिक/परिषद/संघसभा/2023/12090001

संख्यक/दिनांक: 12-09-2023

**कार्यालय आदेश**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मेसी कानूनियल और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संज्ञित सं. 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुसूचित विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20 प्रो. लाइसेंस से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सं. 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी कानूनियल और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों को प्रस्ताव अनुसूचित विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थानों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20 प्रो. लाइसेंस द्वारा सं. 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं आर. प्रवेश प्रदान करना हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का नाम एवं पता : 1674-MODERN INTERNATIONAL COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एडमिशन/सीटों/फीस/फीर/अन्य हेतु सं. 2023-24 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्रमशः	परिषद द्वारा सं. 2023-24 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्रमशः
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसू. सं. 2023-24 के तहत संस्था 311/16-3399/2022 टीसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थानों की शर्तों के विस्तार कानूनियल और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संज्ञित सं. 2023-24 में भारतीय व्यापक के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी कानूनियल और इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्दिष्ट की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मेसी कानूनियल और इंडिया, नई दिल्ली के पत्रों के अनुक्रम संस्थान में समस्त संस्थाओं (सुप्री, एम. ए. और एम. फार्म) अति उपलब्ध हैं।
- ✓ संस्था आर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सं. 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली-2003, संस्था विनियमवली-2016 तथा संस्था-संघ पर निर्मित दस्तावेजों का अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारित शर्तों द्वारा निर्धारित सुलभ से संबंधित कार्रवाया में प्रयास किया करेगी। आर. प्रवेश के अधीन संस्थाओं को सुलभ के सम्बन्ध में संस्था-संघ का साहजिक द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामलों में प्रतिक्रिया देगी, और तदुपरोक्त किये गए आदेशों का पालन करेगी। प्रवेश निर्धारित शर्तों द्वारा यदि सं. 2023-24 हेतु प्रवेश का सुनिश्चित किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनता देई जायेगी।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा संचालित जाती की हो प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को संस्था-संघ पर निर्मित दस्तावेजों के अनुसार निर्धारित एवं सम्बद्धता सुलभ नया करना होगा।
- ✓ संस्था आर प्रदेश संघसभा द्वारा निर्मित विधि/विनियम/विनियमवली/संस्थाओं/शर्तों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 20 प्रो. अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, 20 प्रो. प्राविधिक शिक्षा परिषद, 20 प्रो. द्वारा जारी गरी दिनांक, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये

Principal

Modern International College of Pharmacy  
4th Mile Stone Main Skandrabad Gurgaon  
Road Skandrabad Bulandshahr (U.P.)

बाधकारी है।

- ✓ यदि संस्था का अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद/राज्यीय कार्यालय जौन इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संबंध में संस्था अखिल भारतीय संस्था का होना और विहित रूप से किसी भी स्तर/वर्ग के लिए संस्था रूप प्रस्तुतनी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, अखिल भारतीय शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश प्रदान के विषय यदि कोई बात उत्पन्न किया जाता है तथा उत्पन्न बात के संबंध में वा. मंत्रालय द्वारा किसी प्रश्न की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सहायक द्वारा प्रवेश वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु अखिल भारतीय स्तर होने के पूर्व अखिल भारतीय स्तरीय शिक्षा परिषद/राज्यीय कार्यालय जौन इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त रूप परिषद कार्यालय को उपस्था करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सहायक द्वारा प्रवेश हेतु उत्पन्न-उत्पन्न पर निर्णय नदीनताम अखिल भारतीय का अनुमोदन प्राप्त प्रस्तुतनी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के सुसज्जित वेबसाइट पर संस्था की प्रस्ताव दस्तावेज जैसे संस्था की प्राथमिक मुक्ति पुस्तक, टिप्पण, साख-सम्पत्त, उपकरण, साख किया जाने वाला शुल्क, आसपास शुल्क आदि का विवरण उपस्था करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियान हेतु अनुमोदन प्राप्तप्रदा उपस्था करने के साथ निर्णय करने के सम्बन्ध में संस्था अखिल भारतीय प्रस्तुतनी सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/अभियानित प्रस्तावना को बताया जाने हेतु निर्दिष्टतम अखिल भारतीय के अलावा उपस्था कराते गये अखिल भारतीय, प्राथमिक, कार्यलय, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रस्तावना के संस्थान में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपस्था का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्थान संस्था की प्रस्तुतनी सम्पन्न करने वाले की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (संशोधन और अभियानित), श्रीवास्तव का संयुक्त किया जाता, विनिर्देशवसी, 2002 के प्राथमिक/संयुक्त परिषद की सेवा पर अपने कार्यवाही, प्रवेश और परीक्षा को परिषद को परीक्षा के संस्थान के लिए परिषद के अखिल भारतीय में रखनी।
- ✓ संस्था के श्रेयस्थ अखिल भारतीय निर्देशक के अलावा यदि संस्था में भूमि, साख, उपकरण/साख, उपकरण एवं अन्य साख-सम्पत्त 10/10/2012/2012/2012/2012/2012/2012/2012 के संयुक्त/संयुक्त उपस्था नहीं प्राप्त जाता है तो संस्था की प्रस्तुतनी सम्पन्न कर दी जाएगी।
- ✓ प्रस्तुतनी नहीं कर अनुमोदन न किसी अन्य प्रस्ताव नहीं का उपस्था निर्णय जाने की गिबिने से नियम/संयुक्त अनुमोदन/संयुक्त कार्यवाही को जाएगी।

  
 (अजीत कुमार सिंह)

सचिव

पुंमसं- आसिड/परिषद संयुक्त/2023/12090002-12091230


दिनांक- 12-09-2023

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक MODERN INTERNATIONAL COLLEGE OF PHARMACY

  
 (अजीत कुमार सिंह)

सचिव

  
 Principal  
 Modern International College of Pharmacy  
 4th Floor, Shree Manikandaram Building  
 Road, Chandigarh, Chandigarh (U.P.)